न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार (आई.ए.एस.)

राजस्व निगरानी 50 / 2023

निगरानीकार–

1. श्री नसीर खां पुत्र रिमुखां जाति सिंधी मुसलमान, निवासी बड़नावा जागीर, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा

बनाम

गैर निगरानीकार–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत बड़नावा जागीर, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
2. बाबूखां पुत्र वलीखां, जाति मुसलमान, निवासी भोमसागर, बड़नावा जागीर, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पटटा संख्या 96 दिनांक 20.02.2019 जो अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत बड़नावा जागीर द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री चेलाराम कुमावत, निगरानीकर्ता की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी, गैर निगरानीकार की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :–03.04.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत बड़नावा जागीर की ओर से अप्रार्थी बाबुखां पुत्र वलीखां जाति मुसलमान निवासी भोमसागर, (बड़नावा जागीर) के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 20.02.2019 के विरूद्ध दिनांक 05.04.2022 को न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर एवं दिनांक 01.11.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं।
2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 01 ग्राम पंचायत बड़नावा जागीर द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत ग्राम बड़नावा जागीर में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 28 दिनांक 20.02.2019 को ग्राम पंचायत बड़नावा जागीर द्वारा जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 1600 वर्ग फीट दर्शाया गया है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।
3. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत बड़नावा जागीर का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकर्ता के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक आवासीय भूखण्ड ग्राम बड़नावा जागीर की आबादी *भूमि के खसरा नंबर 618/115* ग्राम सादुलपुरा बड़नावा जागीर में आया हुआ है,

जिला कलक्टर
बालोतरा

जिसमें नाप व पड़ौस उत्तर 40 फीट, दक्षिण 40 फीट, पूर्व 40 फीट, पश्चिम 40 फीट, उत्तर में नथाराम मेगवाल की खातेदारी भूमि, दक्षिण में माडपुरा रोड़, पूर्व में नसीर खां पुत्र गांजीखां, पूर्व सफीखां पुत्र हमलेखां का प्लॉट आया हुआ है। उक्त भुखण्ड हमलेखां पुत्र अलाबक्स से जरिये इकरारनामा दिनांक 19.03.2001 को खरीद कर दिनांक 25.03.2001 को भूखण्ड का कब्जा विक्रेता हमलेखां से प्राप्त कर भूखण्ड पर काबिज हो गया। भूखण्ड पर प्रार्थी का बाद खरीद से लगातार बिना किसी रोक टोक से श्रृंखलाबद्ध तरीके से शांतिपूर्वक कब्जा रहा है। प्रार्थी के उक्त भूखण्ड पर नाजायज तरीके से बैदखल करने व कब्जा हटाने की धमकी देने पर प्रार्थी के द्वारा न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश में दावा पेश किया, जो वर्तमान में नवसृजित न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश पचपदरा में विचाराधीन है। न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश पचपदरा द्वारा उक्त भूखण्ड की मौके व रेकर्ड की स्थिति मूल वाद के निस्तारण तक यथावत रखने का आदेश पारित किया गया है। आलोच्य पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 नियम 157 के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं कर नियमों की अनदेखी करते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है।

5. अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने दौराने बहस यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी आलौच्य पट्टा में भूखण्ड के नाप पड़ोस भी गलत अंकित किये गये है जो वास्तविक स्थिति के अनुसार सही नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत से मिलकर प्रार्थी के भूखण्ड को हड़पने की नियत से आलौच्य पट्टा जारी करवा दिया गया। ग्राम पंचायत के द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में कोई विधिवत प्रकिया नहीं अपनाई गयी और न ही मौतबीरान के रूबरू मौका निरीक्षण किया गया, मात्र कार्यालय में बैठकर ही छपे हुए प्रफोर्मा में कागजी कार्यवाही कर आलौच्य पट्टा विधि विरूद्ध जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व न तो कोई महत्वपूर्ण सर्वे रिपोर्ट मंगवायी गयी और न ही कोई कब्जे व अधिपत्य की रिपोर्ट मंगवायी है। विप्रार्थी संख्या 02 के आवेदन पत्र के गवाहों के छपे–छपाये बयानों में खानापूर्ति करके पत्रावली में संलग्न कर दिये गय है तथा आनन फानन में पट्टा जारी किया गया, जो कालिब निरस्त किये जाने योग्य है।

6. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 में विहित नियम 157 (ख) के अनुसार प्रार्थी का मौके पर 25 वर्षों से कब्जा है एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के नियमों की पालना कर अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पटटा जारी किया गया है। यह निगरानी याचिका गलत आधारों पर तथा तथ्यों को छिपाकर प्रस्तुत की गई हैं। जो खारिज योग्य हैं। सिविल न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र एवं आलोच्य पट्टे में अड़ोस–पड़ोस की दिशा में अलग बताया गया, जिससे से भी प्रार्थी का कब्जा साबित नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अचल संपत्ति का स्थानांतरण केवल बिक्री विलेख द्वारा बिक्री के माध्यम से किया जा सकता है और बिक्री विलेख की अनुपस्थिति में कोई अधिकार नहीं होता है। अनुबंध को बिक्री के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है

जिला कलक्टर
बालोतरा

जो कोई नियम नहीं है। हस्तांतरण विलेख अचल संपत्ति में कोई स्वामित्व प्रदान नहीं करेगा और न ही कोई हित हस्तांतरित करेगा। उक्त आलौच्य भूखण्ड न्यायालय सिविल न्यायाधीश पचपदरा में विचाराधीन है एवं न्यायालय सिविल न्यायधीश पचपदरा द्वारा उक्त भूखण्ड की मौके व रेकर्ड की स्थिति मूल वाद के निस्तारण तक यथावत रखने का आदेश पारित किया गया है। निगरानी पेश की है जो खारिज होने योग्य है।

7. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थी संख्या 02 के आलौच्य भूखण्ड पर पुराने कब्जे इत्यादि के संबंध में कोई पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये हैं। पंचायती राज अधिनियम नियम 148 के तहत प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर भीतर, केवल आक्षेप आमंत्रित करने होते है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ने एक महिने के अंदर ही दिनांक 20.01.2019 को आवेदन स्वीकार करते हुए दिनांक 20.02.2019 को ही पट्टा जारी किया गया। न्यायालय सिविल न्यायाधीश पचपदरा के द्वारा दीवानी विविध प्रकरण संख्या 20/2015 बअनवान नसीरखां बनाम बाबूखां विचाराधीन होने के बावजुद भी अप्रार्थी सं 1 ने आलोच्य पट्टा जारी करने से पूर्व प्रार्थी को सूचना दिए बगैर ही दिनांक 20.02.2019 को उक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी किया गया। अलावा इसके उक्त आलोच्य पट्टा से संबंधित प्रकरण सिविल न्यायाधीश में विचाराधीन होने के कारण अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा आलोच्य पटट्ा जारी करने से पूर्व न तो कोई महत्वपूर्ण सर्वे रिपोर्ट मंगवायी गयी और न कब्जे की रिपोर्ट नियमानुसार मंगवायी गई। अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा संख्या 02 पारित किया गया है वह बिना विधिक प्रक्रिया, दस्तावेजी सबूत एवं संदिग्ध प्रक्रिया द्वारा पारित किया गया है जो काबिल खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत बड़नावा जागीर द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को जारी पट्टा सं. 96 दिनांक 20.09.2019 को निरस्त किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 03.04.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलक्टर, बालोतरा